तत्काल

विधानसभा प्रश्न

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली

विधायी कार्य शाखा / प्रश्न कक्ष

संख्याः डी0ई0–25 (13) /153/ वि0कार्य / 2017–18 / विभिन्न / खण्ड–II/ 608 दिनांक 22/3/18

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय,

पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

विषयः– विधानसभा ~~तारांकित~~ / अतारांकित / ~~आश्वासन~~ संख्या 229 दिनांक 23.3.18 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 23-3-18 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त ~~तारांकित~~ / अतारांकित प्रश्न / ~~आश्वासन~~ संख्या की 100 प्रतिलिपियॉ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार

उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

विभाग का नाम :– शिक्षा विभाग

विभाग का पता :– पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 229

दिनांक :– 23.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:–

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि टैगोर गार्डन स्थित सर्वोदय कन्या विद्यालय नं0 2 में सीवर सिस्टम हमेशा जाम रहता है;	इस विद्यालय का सीवर सिस्टम के बारे में पहले जाम होने की शिकायत थी परंतु अब इसकी मरम्मत करा दी गई है।
(ख) क्या यह भी सत्य है कि 37 टीन शेड कमरे गिरवाकर नई बिल्डिंग बननी है;	37 टीन शेड कमरे गिराकर उसकी जगह 68 क्लास रूम एवं एक एमपी हाल बनाने का प्रस्ताव "प्राथमिकता दो" में रखा गया है। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।
(ग) क्या यह भी सत्य है कि टैगोर गार्डन स्थित गर्वनमेंट ब्वॉयज विद्यालय नं0 1 में खस्ता हालत के कारण दो सीढ़ियां, एक टॉयलेट ब्लॉक तथा एक मल्टी परपज हॉल को बन्द कर दिया गया है;	जी हाँ। एमपी हाल बंद कर दिया है इसके गिराने (डिमोलिशन) का आदेश हो चुका है। एक टॉयलेट ब्लाक बंद है उसके मरम्मत की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग को दी जा चुकी है। कार्य जल्द ही आरम्भ कर दिया जायेगा। दो सीढ़ियां जिसमें कुछ कमी थी उसकी मरम्मत करा दी गई है।
(घ) क्या यह भी सत्य है कि इनके स्थान पर नया भवन बनाया जाना जरूरी है; और	इनके स्थान पर 49 एसपीएस एवं एक एमपी हाल बनाने का प्रस्ताव "प्राथमिकता दो" में रखा गया है।
(ड़) सरकार इस कार्य के लिए कब तक फंड जारी करेगी और कब काम शुरू होगा ?	EFC मीटिंग 15.03.2018 को हो चुकी है, जिसमें EFC ने अनुमोदन स्वीकृत कर दिया है। इसके लिए मंत्री मंडल से अनुमोदन लिया जायेगा।